हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

[illegible] पुकार कराए फरीकैन/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दि. 22/5/15 को पेश होवे।

[signature]

22/5/15 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 10/6/15 को पेश हो।

[signature]

10/6/15 पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित [illegible] पक्षकारान में समझाइस की गई। परन्तु [illegible] हुआ। अत पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय [illegible] वापस लौटाई जावे। दिनांक 27/8/15 को न्यायालय में पेश हो।

[signature]

27/8/15 [illegible] 34.1 वास्ते जवाब/बहस प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 28/9/15 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

[signature]

28/9/15 वास्ते जवाब/बहस प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 19-11-15 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

[signature]

19/11/15 वास्ते जवाब/बहस प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 31-12-15 को पेश हो। तब तक T.I. की अवधि बढ़ाई जाती है।

[signature]

Scanned by CamScanner

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल
31/12/15	[illegible] फरीकेन/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे है अतः पत्रावली दि. 25-2-16 को पेश हो।
25/2/16	[illegible]
2/5/16	पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 30.5.16 को पेश हो। खण्ड अधिकारी (बयाना)
4/5/16	पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 30.5.16 को पेश हो।
30/5/16	[illegible] उपस्थित/अनुपस्थित/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में [illegible] की गई। परन्तु [illegible] नहीं हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटाई जावे। दिनांक 21.7.16 को न्यायालय में पेश हो।

खण्ड अधिकारी (बयाना)

ायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी: बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

जस्व वादपत्र सं0
)8/2013

दायरा दिनांक
29.05.2013

निर्णय दिनांक
16.09.2013

अनुवान

1. इन्द्राज प्रार्थनापत्र पुत्र श्री हीरासिंह जाति अहीर ग्राम करीरीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्री हीरासिंह
2. बलराम पुत्र श्री बलबीर
3. महेन्द्र
4. सतीश पुत्रान श्री बलबीर
5. रूपचन्द
6. रतिराम पुत्रान श्री मोहरसिंह
7. ओप्रकाश पुत्र श्री हीरासिंह जाति अहीरान ग्राम करीरीवास तह. कोटकासिम
8. पंजाब नैशनल बैंक शाखा बूढीबावल जरिये शाखा प्रंबधक बूढीबावल
9. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज.

अप्रार्थी0/प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ.1955
आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा 151
जाप्ता दीवानी

उपस्थितः—

1. श्री आानन्दराव अधिवक्ता वादी
2. श्री पूरण यादव अधिवक्ता प्रति01

निर्णय

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गतधारा 212 राज. टी. ऐ. आदेश 39 नियम 1 व 2 समठित धारा 151 जा. दी. इस न्यायालय में पेश किया । प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा वर्णन किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एंव दस्तावेजो से प्रार्थी का केस प्राइमाफेसाई आयद व साबित होता है। विवादित आराजीयात मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 7 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 245 का पक्षकारान के मध्य बाहमी बंटवारा अरसे दराज से हो रहा है और बाहमी बंटवारे के अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। बाकी विवादित आराजीयात पक्षकारान की सामलाती है। सामालात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 245 के पश्चिम से पूर्व की तरफ 10 फुट चौडा रास्ता मिन प्रार्थी इन्द्राज के हिस्से के प्लाट के गेट के सामने से होता हुआ यह रास्ता तरफ उत्तर की और मुड जाता है जो रास्ता मिन प्रार्थी के प्लाट में से अप्रार्थी सं. 1 के आने– जाने हेतू अपने प्लाट मे छोडा गया है सिर्फ अप्रार्थी सं. 1 इस रास्ता का उपयोग उपभोग आने–जाने हेतु कर सकता है निमार्ण कार्य वगैरा नही कर सकता है। लेकिन दिनांक 27.5.13 को अप्रार्थी सं. 1 ने इस रास्ते को बंद कर इस रास्ते में नींव खोदकर व लोहे का पिल्लर खडा कर पुख्ता निमार्ण कार्य करने लगा। जिस पर मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को मना किया तो अप्रार्थी सं. 1 मिन प्रार्थी के साथ लडाई–झगडा करने लगा और मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि मैं इस रास्ते में निमार्ण कार्य कर अपना कब्जा करूंगा। यदि अप्रार्थी सं. 1 अपने इस नापाक इरादो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपयों में नही ऑकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण की जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने को अधिकारी हुं।सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है।अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण सं. 1 व 9 को जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 245/0.29 हैक्टयर वाके ग्राम करीरीवास तह. कोटकासिम के पश्चिम से पूर्व की तरफ 10 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी के हिस्से के प्लाट के गेट के सामने से होता हुआ यह रास्ता तरफ उत्तर की और मुड जाता हैं जो रास्ता प्रार्थी के प्लाट में से अप्रार्थी सं. 1 के आने–जाने हेतू छोडा गया है उस छोडे हुये रास्ता में अप्रार्थी सं0 1 किसी भी प्रकार का कच्चा–पक्का निमार्ण कार्य ना करे, ना उस पर अपना जब्रन कब्जा करे। मौका व राजस्व निकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी जर्ये नोटिस तलब किये जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया। अप्रार्थी 2 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी 1 की और से जबाब पेश किया कि प्रार्थी को उक्त अनुवानीवादपत्र में कामयाबी की कतई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिये। प्रार्थी ने झूँठे तथ्य दर्ज कर वादपत्र व झूठा शपथपत्र पेश किया है जिनमें प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। यह सही है किविवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 की सामलाती खातेदारी की आराजीयात राजस्व रिकोर्डस में दर्ज हैं बाकी गलत है, अस्वीकार है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 245 का ही नहीं बल्की समस्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य काफी अरसा पूर्व से ही बाहमी बटवारा हो रहा है। इस बाहमी बटवारा के अनुसार ही पक्षकारान अपने–अपने हिस्से में आई आराजीयानत पर काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहें है। खसरा नम्बर 245 में से बटवारा के समय ही अप्रार्थी सं0 1 को अपने प्लाट में आने–जाने हेतु रास्ता इन्द्राज के प्लाट से हटकर छोटा गया था। इन्द्राज के प्लाट में से मिन अप्रार्थी सं0 1 को अपने प्लाट में आने–जाने हेतू कोई रास्ता नहीं छोडा गया है इन्द्राज के प्लाट से अलग हटकर रास्ता सिर्फ मिन अप्रार्थी सं0 1 के उपयोग–उपभोग हेतु है। किसी भी तरह का निर्माण कार्य ना करने के लिये पाबंद नहीं किया था दिनांक 27.5.13 की समस्त कहानी प्रार्थी ने नितान्त झुटी ,मिथ्या वो बनावटी दर्ज की है जिसमें रतिभर भी सच्चाई नहीं है। लोहे का पिल्लर नही है वो मिन अप्रार्थी सं0 1 के घर का मेन गेट लोहे का है जो कि काफी अरसा पूर्व से ही है। प्रार्थी को कोई अपूरनीय क्षति नही होती है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी सं0 1 सहखातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जावे। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थी सं. 1 है।अतः प्रार्थनापत्र गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने समस्त तथ्य अपने प्रार्थनापत्र में झुठे दर्ज किये है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी सहखातेदार काश्तकार को किसी भी सूरत में जरिये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 245 वाके ग्राम करीरीवास का बाहमी बटवारा हो रखा है। प्रार्थी को रास्ते में कोई रूकावट पैदा नहीं की जावे। मौके पर 15 फीट का रास्ता छोडा हुआ है। बाहमी बटवारा शर्त के अनुसार रास्ते में कोई निर्माण नहीं होना चाहिये। अप्रार्थी ने स्थगन के बावजूद भी रास्तें में निर्माण कार्य आरम्भ किया । यदि स्थगन प्रा0 पत्र खारिज किया गया तो मुझ प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी । दिनांक 21.8.2016 को जबरन निर्माण करने पर इनके विरूद्व एफ आई आर दर्ज करवाई । रास्ते में निर्माण नहीं करने का राजीनामा दस्तावेज

उप खण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी के पास हैं खुरा बढाने से मुझ प्रार्थी का रास्ता रुक जाता है । अतः अप्रार्थी को ताफैसला वाद हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा गिरदावरी मे विवादित भुमि आबादी दर्ज है। मौके पर तकासमा कर रखा है। जिसका इन्द्राज किया हुआ है। मौके का फोटो पेश किया है। जिसके अनुसार इनका रास्ता बन्द नहीं हो रहा है। प्रार्थी ने स्थगन के बावजूद मकान बनाया है। दावा तकासमा का पेश किया है। जबकि समस्त आराजी पर मकान बने है। स्टे केवल खसरा नम्बर 245 पर है। अन्य आराजी पर नहीं है। प्रार्थी की सहमति से बटवारा हुआ था तो ही मौके पर प्रार्थी व मिन अप्रार्थी के मकानों का निर्माण किया है। चारदीवारी बना रखी है। प्रार्थी की चारदीवारी पूर्ण बनी हुई है। एफ आई आर मिथ्या व मनगढन्त ब्यान किया है। कोई एफ आई आर दर्ज नहीं हुई है। स्थगन जारी रहने से अप्रार्थी के हको पर कुठाराघातन होता है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्राईमाफेसाई साबित नहीं होता, नाही प्रार्थी को कोई नुकसान होता है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया व पत्रावली में पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस के समय यह बात साबित है कि विवादित भुमि के दोनों पक्षों ने अपना–अपना निर्माण कर लिया है तथा चारदिवारी आदि बना रखी है। मुताबिक रिकोर्ड प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार दर्ज रिकोर्ड है। कानूनन सहखातेदारी की आराजीयात पर स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। मौके पर विवादित भुमि पर दोनों पक्षों के द्वारा चारदिवारी किया जाना बहस में वर्णन किया है तों प्रार्थी को कोई हानि होना प्रतीत नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र प्राईमाफैसाई साबित नहीं है। प्रा. पत्र खारित योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनपत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त अधि. 1955 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा –151 जा. दी. खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह सिरोही)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner